Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 135-2016/Ext] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 25, 2016 (BHADRA 3, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th August, 2016

No.22-HLA of 2016/87.— The Court Fees (Haryana Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 22- HLA of 2016

THE COURT FEES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Court Fees Act, 1870 in its application to the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the sixty seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Court Fees (Haryana Amendment) Act, 2016.

Amendment of Section 26 of Central Act 7 of 1870.

2. In section 26 of the Court Fees Act, 1870, the following explanation shall be added, namely:-

"Explanation.- For the purposes of this section,-

(i) "Stamp" means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorized by the State Government and includes an adhesive or impressed stamp chargeable for the purposes of court fee under this Act; and

(ii) "Impressed stamp" means an impression by a franking or any other machine, or e-stamping".

Repeal and saving.

3. (1) The Court Fees (Haryana Amendment) Ordinance, 2016 (Haryana Ordinance No. 4 of 2016), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To make the justice delivery system paperless and hassle-free, the system of e-Stamps for Court fees shall be introduced in Punjab and Haryana High Court, Chandigarh as well as in all District Courts and Sub-Divisional Courts of State of Punjab, Haryana and U.T., Chandigarh. With a view to facilitate citizens by providing online payment mechanism for court fees round the clock, to save precious time of the citizens, to obviate difficulties of shortage of regular stamps, to prevent re-use of stamps, loss of stamps and sale of counterfeit stamps, to provide an environment for ease of doing business the State intends to enable the citizens to purchase of court fee stamps through a 24x7 secure online mechanism developed by NIC Haryana. In view of exigency of the matter mentioned above, necessary amendment in Section 26 of Court Fee Act, 1870 in its application to the State of Haryana was to be implemented with immediate effect and it was not possible to wait till the next sitting of the House. Therefore, The Court Fees (Haryana Amendment) Ordinance, 2016 (4 of 2016) was promulgated on the 27th July, 2016.

2. The present measure seeks to replace the Ordinance.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Revenue and Disaster Management Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 25th August,2016.

R.K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 22–एच०एल०ए०

न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016
न्यायालय फीस अधिनियम, 1870
हरियाणा राज्यार्थ, को आगे
संशोधित करने के लिए
विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1870 का केन्द्रीय अधिनियम 7 की धारा 26 का संशोधन।

2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 26 में, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''स्टाम्प'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मोहर या पृष्ठांकन तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन न्यायालय फीस के प्रयाजनों के लिए प्रभार्य या चिपकाने वाली या छापित स्टाम्प भी शामिल है; तथा

(ii) "छापित स्टाम्प" से अभिप्राय है, किसी अंकन या किसी अन्य मशीन या ई–स्टाम्पिंग द्वारा कोई छाप।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

न्याय वितरण प्रणाली कागज रहित और परेशानी मुक्त बनाने के लिए कोर्ट फीस के लिए ई–स्टाम्पस की प्रणाली पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में तथा केन्द शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में और साथ ही सभी जिला न्यायालयों और पंजाब हरियाणा राज्य के उप संभागीय न्यायालयों में आरम्भ किया जाएगा। उक्त विचार के दृष्टिगत चौबिसों घण्टों अदालत की फीस को उपलब्ध करवाने के लिए आनलाईन भुगतान तंत्र प्रदान करके नागरिकों की सुविधा के साथ नागरिकों के कीमती समय को बचाने के लिए, नियमित रूप से कोर्ट फीस की टिकटों एवं न्यायिक स्टाम्पस की कमी की कठिनाईयों का निराकरण करके कोर्ट फीस टिकटों तथा न्यायिक स्टाम्पस को फीस के रूप में उपयोग करने और टिकटों से प्राप्त आय की हानि, नकली टिकटों की बिक्री के रूप में रोकने के लिए तथा कोर्ट फीस की टिकटों तथा कोर्ट फीस स्टाम्पस के बिक्री के कार्य को आसान करने हेतू वातावरण प्रदान करने के लिए एन0आई0सी0 हरियाणा द्वारा विकसित एक 24X7 सुरक्षित आन–लाईन विधि के माध्यम से कोर्ट फीस टिकटों एवं कोर्ट फीस स्टाम्पस की खरीद को नागरिकों को सक्षम करने का ध्येय है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 को हरियाणा राज्य में लागू करने के लिए धारा 26 में आवश्यक संशोधन की जरूरत को देखते हुए अध्यादेश न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016 (अध्यादेश संख्या 4) को प्राख्यापित किया गया था।

2. वर्तमान विधेयक द्वारा अध्यादेश को प्राख्यापित करना है।

कैप्टन अभिमन्यु,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 25 अगस्त, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

54580—H.V.S.—H.G.P.,Chd.